

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड 1, रायपुर— 492 006

दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611 फ़ैक्स : (0771) 4066425 ई-मेल : visitcg@gmail.com

क. 1098 / यो./प.मं./16
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17.06.2016

अपरप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध),
वन विभाग,
अरण्य भवन, जेल रोड
रायपुर

विषय:— बिलासपुर जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 2286 में पर्यटन गतिविधि के लिए राजमेरगढ़ स्थित 6.699 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग. पर्यटन मंडल को उपयोग पर देने के लिए प्रस्ताव के आन लाइन पंजीयन विषयक।

—0—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा बिलासपुर जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 2286 में पर्यटन गतिविधि के लिए राजमेरगढ़ स्थित 6.699 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन अंतर्गत प्रस्ताव का आन लाइन आवेदन किया जा रहा है।

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि पर्यटन मंडल द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 6.699 हेक्टेयर के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पंजीयन अंतर्गत कलेक्टर, जिला बिलासपुर से “अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006” का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर, जिला बिलासपुर से “अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006” के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त होते ही इसे भी अपलोड कर दिया जावेगा। अतः कृपया राजमेरगढ़ स्थित 6.699 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन अंतर्गत प्रस्ताव का आन लाइन पंजीयन करने का कष्ट करेंगे।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल
रायपुर, दिनांक

पृ. 1 / यो./प.मं./15
प्रतिलिपि—

1. कलेक्टर, जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया राजमेरगढ़ स्थित 6.699 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु “अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006” के अंतर्गत प्रमाणपत्र शीघ्र जारी करने का कष्ट करेंगे।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल मरवाही, गौरेला जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड 1, रायपुर- 492 006

दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611 फ़ैक्स : (0771) 4066425 ई-मेल : visitecg@gmail.com

क. 1100 / यो. / प.मं. / 16
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17.06.2016

कलेक्टर,
जिला बिलासपुर

विषय:-

बिलासपुर जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 2286 में पर्यटन गतिविधि के लिए राजमेरगढ़ स्थित 6.699 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग. पर्यटन मंडल को उपयोग पर देने के लिए प्रस्ताव के आन लाइन पंजीयन विषयक।

-0-

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा बिलासपुर जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 2286 में पर्यटन गतिविधि के लिए राजमेरगढ़ स्थित 6.699 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग. पर्यटन मंडल को उपयोग पर देने के लिए प्रस्ताव के आन लाइन पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु पर्यटन मंडल को राजमेरगढ़ में प्रस्तावित वन भूमि 6.699 हेक्टेयर के प्रत्यावर्तन अंतर्गत आन लाइन पंजीयन की कार्यवाही हेतु "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" के अंतर्गत संलग्न प्रारूप अनुसार प्रमाणपत्र की आवश्यकता है।

अतः कृपया "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" के अंतर्गत प्रमाणपत्र शीघ्र छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, जिससे वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आगामी कार्यवाही की जा सकगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल
रायपुर, दिनांक

पृ.क. / यो. / प.मं. / 16

प्रतिलिपि-

1. अपरप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध), वन विभाग अरण्य भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल मरवाही, गौरेला, जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल